न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 10/17

1. प्रेमसिंह पुत्र लक्खी, जाति गूजर, निवासी ग्राम नयागांव (धुनैनी) तहसील बयाना
2. बतूल पुत्री लक्खी पत्नि दानसिंह, जाति गूजर, निवासी नगला धूत, तहसील बयाना

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार बयाना

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांकः– 5/8/25

उपस्थितिः– श्री चोबसिंह एड0 प्रार्थीगण

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि पुरानी आराजी खसरा नम्बर 184 रकवा 6 विस्वा, 183 रकवा 11 विस्वा, 188 रकवा 1 बीधा 16 विस्वा, 176 मिन रकवा 4 बीघा ग्राम धुनैनी तहसील बयाना में स्थिति है कि जिसके वर्तमान सैटिलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 357 रकवा 0.12, 358 रकवा 0.12, 359 रकवा 0.31, 360 रकवा 0.10, 412 रकवा 0.05, 413 रकवा 0.09, 418 रकवा 0.29 किता 7 रकवा 1.08 हैक्ट बनाये गये है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पिता श्री लक्खी पुत्र रजन के कब्जेकाश्त व खातेदारी की छोडी हुई कृषि भूमि है। प्रार्थीगणण के पिता श्री लक्खी का स्वर्गवास हो चुका है। राजस्व अभिलेख में उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण के पिता का नाम लक्खी तो सही अंकित है लेकिन बल्दियत रजन के बजाय अजयपाल राजस्व कर्मचारियो की सहवन भूल से गलत दर्ज हो गई है। जबकि प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य कागजात में लक्खी पुत्र रजन सही दर्ज हो रही है। प्रार्थीगण के गांव में लक्खी पुत्र अजयपाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता ही लक्खी की बल्दियत गलत दर्ज हो जाने से विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने में बडी भारी परेशानी हो रही है। जिसे शुद्व किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थ्ज्ञीगण दिनांक 8.3.2017 को विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने गये तो पटवारी हल्का ने उक्त गलती बाबत बताया है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 357 रकवा 0.12, 358 रकवा 0.12, 359 रकवा 0.31, 360 रकवा 0.10, 412 रकवा 0.05, 413 रकवा 0.09, 418 रकवा 0.29 ग्राम धुनैनी तहसील बयाना प्रार्थीगण के पिता श्री लक्खी की बल्दियत अजयपाल के स्थन पर रजन दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। न्यायालय हाजा से तहसीलदार बयाना को उक्त प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने अपने रिपोर्ट क्रमांक/136/कैम्प/21/88 दिनांक 11.10.2021 से प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया कि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 357 , 358 , 359 360 , 412 , 413 , 418, किता 7 रकवा 1.08 हैक्ट में प्रार्थी लक्खी की बल्दियत अजयपाल के स्थान पर रजन शुद्व करने सम्बन्धी रिपोर्ट चाही गई थी। जिसके अन्तर्गत मुताबिक नामान्तकरण संख्या 290 किस्म विरासत दिनांक 05.09.2019 द्वारा लक्खी पुत्र अजयपाल के स्थान पर प्रेमसिंह पुत्र लक्खी, बतूल पुत्री लक्खी, अशरफी पत्नि लक्खी जाति गुर्जर सा.देह.खातेदार रहन बदस्तूर दर्ज होकर फैसल हो चुका है। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 315 किस्म हकत्याग दिनांक 05.04.2021 द्वारा बतूल अशरफी हिस्सा 2/3 के स्थान पर प्रेमसिंह पुत्र लक्खी हिस्सा 2/3 दर्ज हो चुका है। मृतक अजयपाल के फौत होने के उपरान्त उक्त खसरा नम्बरान में मृतक खातेदार की भूमि विरासत का नामान्तकरण से उसके वारिसान के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है। प्रकरण में मृतक खातेदार की वल्दियत शुद्व करने का कोई औचित्य नहीं है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट अनुसार विरासत का नामान्तकरण शुद्व दर्ज हो जाने की दशा में प्रार्थीगण के पिता मृतक लक्खी की बल्दियत शुद्व किये जाने का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक.....5/8/25.....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना